राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)
विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष नं. : 0141–2227884
ई–मेल : rajpr.sep@rajasthan.gov.in, rajpr.xentc@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ 4 (53) पंरावि / पीसी / जजयो / क्रियान्वयन / 2012 / 1030 जयपुर, दिनांक : 28.4.2017

:: आदेश ::

जनता जल योजना के अंशकालीन पम्प चालको को मा. सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के अन्तरिम आदेश दिनांक 18.2.2013 की पालना में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 13 (192) पंरावि / विधि / अव / 12 / 197 दिनांक 26.2.2013, 1333 दिनांक 7.7.2015, 2751 दिनांक 26.8. 2016 के द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर की 50 प्रतिशत राशि के आधार पर मजदूरी दिये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया था।

मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील संख्या 11355 / 2013, 11356 / 2013, 11357 / 2013, 11358 / 2013, 11359 / 2013, 11360 / 2013, 11361 / 2013, 11362 / 2013, 11363 / 2013, 11364 / 2013, 11365–11366 / 2013 में दिनांक 21.9.2016 को पारित निर्णय एवं मा. उच्च न्यायालय के एस.बी सिविल रिट पिटिशन संख्या 15098 / 2012, 5613 / 2013, 7663 / 2013, 8079 / 2013, 19253 / 2013 में दिनांक 21.9.2016 को मा. न्यायालय के उक्त आदेशो की पालना में निर्णय पारित कर अपीलार्थियो को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर मजदूरी दिये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।

जनता जल योजना के पम्प चालको को वर्तमान न्यूनतम मजदूरी दर राशि रू. 201 /– के आधार पर (माह में अधिकतम 26 दिवस के लिये) राशि रू. 5226 /– प्रति माह मजदूरी भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। राशि का भुगतान एसएफसी मद में ग्राम पंचायत को प्राप्त अनुदान राशि से किया जायेगा। मानदेय का भुगतान मा. न्यायालय के आदेश दिनांक 21.9.2016 से प्रभावी माना जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश केवल याचिकाकर्ताओ के संबंध में लागू होगा। यह आदेश वित्त (व्यय–5) विभाग की आईडी संख्या 101701503 दिनांक 10.4.2017 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जा रहे है।

<u>यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।</u>

(आर.एस. मक्कड)
अतिरिकत आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रा.वि.पं.रा.।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. राज्य मंत्री महोदय, ग्रा.वि.पं.रा.।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव महोदय, ग्रा.वि.पं.रा.।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग।
6. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज।
7. उप विधि परामर्शी, पंचायती राज।
8. मुख्य / अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
9. विकास अधिकारी, पचांयत समिति समस्त।
10. प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(मुकेश माहेश्वरी)
अधीक्षण अभियन्ता